

मध्यप्रदेश राज्यउपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/301/001/2004

भोपाल, दिनांक 14/17

आदेश

मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-4/2013/29-2, दिनांक 23-03-17 के द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम-रतलाम में अध्यक्ष की पदस्थापना होने के कारण मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 5-4/2004/29-2, भोपाल दिनांक 28/01/2004 के द्वारा वैधित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में परिवर्तन करते हुए नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 03/04/2017 से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है। इस आंशिक परिवर्तन के साथ दिनांक 03/04/2017 से म0प्र0 के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी :-

क्र.	मुख्य जिला फोरम	संबद्ध जिले
1	भोपाल क्रमांक-1	-
2	भोपाल क्रमांक-2	-
3	इंदौर क्रमांक-1	-
4	इंदौर क्रमांक-2	देवास
5	ग्वालियर	झिण्ड, मुरैना
6	जबलपुर क्रमांक-1	-
7	जबलपुर क्रमांक-2	-
8	सीता	सीधी, शहडोल, अनूपपुर
9	उज्जैन	शाजापुर
10	सागर	दमोह
11	होशंगाबाद	बैतूल
12	गुना	राजगढ़, अशोक नगर
13	धार	बड़वानी, झाबुआ, मण्डलेश्वर
14	सतना	-
15	खण्डवा	बुरहानुपर, हरदा
16	शिवपुरी	दतिया, श्योपुर
17	कटनी	मण्डला, उमरिया, डिण्डौरी
18	छिंदवाड़ा	सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर
19	मंदसौर	नीमच
20	विदिशा	रायसेन, सीहोर
21	छतरपुर	टीकमगढ़, पन्ना
22	रतलाम	-

माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार

(अवधेश कुमार श्रीवास्तव)

रजिस्ट्रार

म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग-भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. सचिव भारत सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उक्त आदेश को अधिसूचना के रूप में जारी कर म.प्र.राज्य पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. सचिव, म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर (म.प्र.)
6. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. निज सहायक माननीय मंत्री जी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल ।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला फोरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ।
9. आयुक्त सह संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल।
10. नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल की ओर अधिसूचना की एक प्रति संलग्न कर अनुरोध है, कि अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(अवधेश कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार

म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतिरोषण आयोग-भोपाल